न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या ६/विशेष न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, फतेहपुर।

विशेष परीक्षण संख्या–३/२००९

राज्य प्रति धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी आदि

मुकदमा अपराध संख्या–१५४ सन २००८
धारा २/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम १९८६
थानाः किशनपुर, जिला फतेहपुर।

२२.१०.२०२०

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी उर्फ धून एवं कपूर सिंह सिगरौर की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता ने पेश किया। आज के लिए स्वीकृत।

अभियुक्त चन्दन सिंह की मृत्यु आख्या थाने से तलब होकर प्राप्त हुयी, जिसके अनुसार अभियुक्त चन्दन सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी रामपुर थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर की मृत्यु हो चुकी है। थाने की आख्या के साथ ग्राम प्रधान की तहरीर को संलग्न किया गया है।

इस सम्बन्ध में तामीलकुलिन्दा हेड कान० शमीम अहमद सी०डब्लू० १ के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि अभियुक्त चन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह की मृत्यु चार साल पहले हो चुकी है। फौती आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि किया। साक्षी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की मृत्यु रिपोर्ट को साबित किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्त चन्दन सिंह की मृत्यु हो चुकी है। अतः अभियुक्त चन्दन सिंह की मृत्यु के कारण उसके विरूद्ध प्रस्तुत वाद मुकदमा अपराध संख्या–१५४/२००८ अन्तर्गत धारा–२/३ उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम १९८६ थाना–किशनपुर, जनपद फतेहपुर उपशमित किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक ०६.११.२०२० को पेश हो।

दिनांकः २२.१०.२०२०

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या –६/
विशेष न्यायाधीश, उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,
फतेहपुर।